



UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

रुद्र प्रयाग



उत्तराखण्ड शासन

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

Fax: 01364-233204, E-mail ID: ecpwd_pgug@rediffmail.com

पत्र संख्या 2314 / 1111
सेवा में

दिनांक 8/2/2025

उप वन संरक्षक
रुद्र प्रयाग वन प्रभाग
रुद्र प्रयाग।

विषय-

वनभूमि पत्रावली संख्या F/P/UK/ROAD/11810 /2015 जनपद रुद्र प्रयाग के अन्तर्गत तिलवाडा तोलब मयकोटी व मालकोटी जमीनी गुनाउ हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग पर परिवर्तन कर जामरीकरण कार्य हेतु 2.375 हे० वनभूमि का गैर वाणिज्यी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की हस्तान्तरण।

सन्दर्भ-

भारत सरकार का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/39/2017/एफसी/404 दिनांक 29.05.2018 एवं 8बी/यूसीपी/06/39/2017/एफसी/1816 दिनांक 13.11.2019 एवं आपका पत्र संख्या 3512/12-1(2) दिनांक 27.04.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग की सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पूर्व ही इस कार्यालय के पत्र संख्या 2755/16सी दिनांक 12.09.2019 द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है, किन्तु 5 वर्ष से अधिक समय होने के कारण एनपीवी की बढ़ी हुए धनराशि जमा किये जाने के कारण सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिशेषित शर्तों की संशोधित विनियार अनुपालन आख्या सन्दर्भित पत्र द्वारा पुनः निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है-

क्र०	सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.750 हे० ग्राम तोलब स्थित सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि के वन विभाग के स्थापित के बाहर है अतः इस वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति दी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्र प्रयाग द्वारा शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि से प्रभावित होने वाले वृक्षों के वृक्षारोपण एवं उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु वांछित धनराशि रु० 13,23,659.00 मात्र की RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 150896111810412 IFSC code CORP0000371, Corporation Bank के खाते में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (बालान की प्रति संलग्न (संलग्नक-1) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु० 13,23,659.00 का प्राक्कलन संलग्न है (संलग्नक-2)। भूमि हस्तान्तरण / नामान्तरण से सम्बन्धित अगस्त दरपद की प्रति संलग्न है (संलग्नक-3) यद्यपि भूमि के सीमांकन हेतु मिलने वाला सीमांकन किया जा चुका है। (संलग्नक-4)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 6-3/2007-एफसी, दिनांक 05.02.2008 के तहत दिये गये आदेशानुसार युद्ध नदीमान भूजल (परावीनमी) की निर्धारित शर्तों जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्र प्रयाग द्वारा शर्त संख्या 2 के अनुपालन में एनपीवी की देय धनराशि रु० 15,60,375.00 मात्र की धनराशि RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 150896111810412 IFSC code CORP0000371, Corporation Bank खाते खाते में ऑन लाइन उक्त खाते में जमा की जा चुकी है, (संलग्नक-1 के अनुसार)।

3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में एनपीवी मूल्य की दर में बढ़ोत्तरी की धनराशि ₹0 8,26,699.00 मात्र की धनराशि Union Bank A/c CAMPAAUR611810454 IFSC UBIN096335 में ऑन लाइन जमा की जा चुकी है. चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक-5)।
4	प्रयोक्ता अभिकरण यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc) को बैव पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	शर्त संख्या 1, 2 व 3 के अनुसार कुल धनराशि ₹0 13,23,659.00 + 16,60,375.00 + 8,26,699.00 = ₹0 38,10,733.00 जमा की जा चुकी है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Vergue पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की बचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क के निर्माण के पश्चात जहां-जहां हो सड़क के दोनों किनारों पर Central Vergue पर विभाग अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation करने हेतु बचनबद्ध है (संलग्नक-6)

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-

- नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्डियानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(इं० इन्द्रजीत बोस)
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग।

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

2010 1 10

2/15/2019

2109114-2-

AGENCY COPY

NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 16-02-2019

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6111810412
McEF/SG File No.	88/UCP/06/39/2017/IFC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PWD PROVINCIAL DIVISION RUDRAPRAYAGRudraprayag
Amount(In Rs)	2884034/-

Amount In Words: Twenty-Eight Lakh Eighty-Four Thousand and Thirty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP00000371
Pay to Account No.	150896111810412 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only. This challan is valid only for seven days.

5014 10572546

After making successful payment, User Agencies !
Email: helpdeskcampana@corpbank.co.in

बसिमासो बसियता
बान्दीन छुल्ल लोडिनि

Tilwanda - Tolab - Nainital
Nainital Dangi Gurnam

Shob copy attested

सहचक अभियन्ता
पा० स० लोडिनि
4/1/

सहचक अभियन्ता
पा० स० लोडिनि
4/1/

परियोजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत तिलवाड़ा तोलब मयकोटी व मयकोटी-डांगी-गुनाउ हल्का वाहन मार्ग का नोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.375 है0 वन भूमि के एवज में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय (एस्0 एस्0 पी0)					
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम -			ग्राम-तोलब सिलिल		
क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्तावित क्षेत्रफल (है0 में)			4.750	है0	वर्ष 2018-19
क्र. सं.	रोपित प्रजातियां		संख्या		
1	शीशम		1000		
2	बांस		1000		
3	सीरस		1000		
4	रीठा		200		
5	कचनार		1500		
6	आंवला		525		
योग			5225		
रोपित कुल पौध			5225		
प्रथम चरण					
क्र0	कार्य का विवरण	इकाई	इकाई दर प्रति रु0	व्यय	
1	सर्वे व सीमांकन	3	4	6	
1	क्षेत्र की सफाई कार्य (झाड़ी कटान आदि कार्य)	4.7500	है0	168.00	798.00
2	अग्रिम दीवालवन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	4.7500	है0	5446.00	25868.50
3	गड्डों का खुदान (0.30x0.30x0.45cum) रेखांकन सहित	4.7500	है0	55000.00	261250.00
4	निरीक्षण वटिया का निर्माण करना (प्रति है0 100रु0मी0 लम्बी व 0.60मी0 चौड़ी)	285.000	वर्ग मी0	26.00	7410.00
5	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष उगाने का	4750	प्र0 रु0	10.00	47500.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र सयन्त्र औजार तैज करना	4.7500	है0	1337.00	6350.75
प्रथम चरण का योग		401427.25			
द्वितीय चरण					
1	गड्डा भरण कार्य (0.30x0.30x0.45)Cum	4750	रु0	2.07	9832.50
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	4750	रु0	3.00	14250.00
3	पौध डुलान कार्य	4750	रु0	13.00	61750.00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	4750	रु0	4.00	19000.00
5	निराई गुडाई करना प्रथम बार	4750	रु0	2.75	13062.50
6	निराई गुडाई करना मय मलचिंग कार्य द्वितीय बार	4750	रु0	2.40	11400.00
7	खाद व दवा पर व्यय	4.7500	है0	1200.00	5700.00
8	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख रेख व रखरखाव पर व्यय (वाचर 1	4.7500	प्र0है0/ माह	1000.00	4750.00
9	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखीघास फूस एवं जलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है। झाड़ी कटान (लैन्टना गाजर घास/काला बांसा)	4.7500	है0	1682.00	7989.50
कुल योग द्वितीय चरण		147734.50			
तृतीय चरण					
1	वनीकरण चौकदार 12 माह	4.7500	है0	1000.00	57000.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखीघास फूस एवं जलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है। झाड़ी कटान (लैन्टना गाजर घास/कालाबांसा)	4.7500	है0	1682.00	7989.50
3	पौधों की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	475	रु0 /पेय	15.00	7125.00
	पुनः गड्डा खोदना एवं रोपण करना	475	रु0 /पेय	6.00	2850.00
	पौधों का डुलान कार्य करना	475	रु0 /पेय	13.00	6175.00
	गड्डों में गोबर खाद डालना मय डुलान सहित	475	रु0 /पेय	2.85	1353.75
शीतकाल में मलचिंग सहित कार्य		475	रु0 /पेय	2.38	1130.50
तृतीय चरण का योग		83623.75			

प्रति सत्यमेव जयते
प्रमाण अक्षिपत्र
दिनांक 10/11/2018

चतुर्थ चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद द्वितीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.7500	₹०	1000.00	57000.00
चतुर्थ चरण का योग :-					
पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.7500	₹०	1000.00	57000.00
पंचम चरण का योग :-					
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.7500	₹०	1000.00	57000.00
छड़वें चरण का योग :-					
सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.7500	₹०	1000.00	57000.00
सातवें चरण का योग :-					
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.7500	₹०	1000.00	57000.00
आठवें चरण का योग :-					
नवम चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.7500	₹०	1000.00	57000.00
नवें चरण का योग :-					
दशम चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.7500	₹०	1000.00	57000.00
दशवें चरण का योग :-					
5-कुल व्यय सारास प्रति है0 व कुल व्यय					
क्र0	वर्ष का नाम	प्रति है0 व्यय			
1	प्रथम वर्ष	401427.25			
2	द्वितीय वर्ष	147734.50			
3	तृतीय वर्ष	83623.75			
4	चतुर्थ वर्ष	57000.00			
5	पंचम वर्ष	57000.00			
6	छठवें वर्ष	57000.00			
7	सातवां वर्ष	57000.00			
8	आठवां वर्ष	57000.00			
9	नवम वर्ष	57000.00			
10	दशम वर्ष	57000.00			
कुल व्यय रुपये		1031785.50			
मृदा एवं जल संरक्षण कार्य		291873.25			
कुल योग		1323658.75			
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार वसूली वर्ष 2018-19 हेतु देय दर/ 278665.00 ₹०/ है०					
या		4.750	Ha.	1323658.75	
		1323659.00			

प्रतिप्रस्तापित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग उप वन प्रभाग

अगस्त्यमुनि

प्रति राज्यीय
राज्य वन अधिकारी
T: 0351-2611110

उप वन सहायक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग



Scanned with OKEN Scanner

प्रति सत्यपि

मुम्बई
जिलाधिकारी
रुद्रप्रसाद ।

प्रेषक,

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग।

सेवा में

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

संख्या:-275 / 20का0-विविध / 2024-25 दिनांक: रुद्रप्रयाग, 29 जनवरी, 2025
विषय:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत तिलवाड़ा तोलब मयकोटी व

मालकोटी डांगी गुनाऊं हल्का वाहन मोटर मार्ग परिवर्तन कर सुधार एवं
डामरीकरण हेतु हेतु 2.3750 है0 वन भूमि के सापेक्ष दो गुना क्षतिपूर्क
वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि के संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग के कार्यालय के पत्र संख्या-130/16सी दिनांक 16 जनवरी 2025 पर आपके
कार्यालय के पत्र संख्या-आ.नं.-176/2025 दिनांक 16 जनवरी 2025 के अनुपालन में
दिनांक 21-01-2025 को नीतू पाण्डेय, अमीन लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग, आकांक्षा
रावत, कनिष्ठ अभियन्ता लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग, बृजमोहन गौरौला, व0 आ0
रुद्रप्रयाग, प्रीतम सिंह तोमर, उ0 व0 क्षे0 रुद्रप्रयाग, कु0 रंजना, राजस्व उपनिरीक्षक
सतेराखाल, एवं डी0 एस0 रावत राजस्व निरीक्षक रुद्रप्रयाग के द्वारा ग्राम तोलब के
अन्तर्गत ज0वि0रहित खतौनी की खाता संख्या-22 श्रेणी-9-3(ख)-2-अन्य कारणों से
झाड़ियों के समूह, के खसरा नम्बर 1455 रकबा 5.760 मध्ये 4.750 है0, भूमि का संयुक्त
निरीक्षण किया गया है। भूमि का कब्जा हस्तान्तरण वन विभाग को दिया गया है। संयुक्त
निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

(राम किशोर ध्यानी)
तहसीलदार,
रुद्रप्रयाग।

प्रति उपस्थित
रुद्रप्रयाग अभियन्ता
ज0वि0रहित
खतौनी मोडिफिकेशन

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

सेवा में

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग।

संख्या: 276 / र0का0-विविध / 2024-25 दिनांक:

जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत तिलवाड़ा तोलब मयकोटी व मालकोटी डांगी गुनाऊं हल्का वाहन मोटर मार्ग परिवर्तन कर सुधार एवं डामरीकरण हेतु हेतु 2.3750 है0 वन भूमि के सापेक्ष दो गुना क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि के सयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-130/16सी दिनांक 16 जनवरी 2025 कम में तहसीलदार रुद्रप्रयाग ने अपनी आख्या से अवगत कराया गया है, कि दिनांक 21-01-2025 को नीतू पाण्डेय, अमीन लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग, आकांक्षा रावत, कनिष्ठ अभियन्ता लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग, बृजमोहन गैरौला, व0 आ0 रुद्रप्रयाग, प्रीतम सिंह तोमर, उ0 व0 क्षे0 रुद्रप्रयाग, कु0 रंजना, राजस्व उपनिरीक्षक सतेराखाल, एवं डी0 एस0 रावत राजस्व निरीक्षक रुद्रप्रयाग के द्वारा ग्राम तोलब के अन्तर्गत ज0वि0रहित खतौनी की खाता संख्या-22 श्रेणी-9-3(ख)-2-अन्य कारणों से झाड़ियों के समूह, के खसरा नम्बर 1455 रकवा 5.760 मध्ये 4.750 है0, भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया है।

उक्त भूमि का कब्जा हस्तान्तरण वन विभाग को दिया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्न-यथोपरि।

वन भूमि सहायक

भवदीय,

(आशीष चन्द्र जिलाधिकारी)

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

प्रतिनिधि-जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-उप वन संरक्षक वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

प्रति उपस्थित
रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी
2760 र0का0-विविध
रुद्र

म - तोलन

शा० उ० नि० क्षेत्र - सतेशवाला

तहसील जनपद - २१५ प्रयाग

अंश - 3 (क) - ख-2 - अन्य कारणों के झाड़ियों के समूह

[illegible]

નોટ - જાકલ (જા.વિ. ૨૦) સ્વતંત્રીની , અસલ એ મેગાર કી ગાંઠી નીકા.

100

(रंजना)
राजस्व उप निरीक्षक
कोत्र ..
ताहसील ..
जनपद ..
...

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का कब्जा प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत तिलवाड़ा तोलब मयकोटी व मालकोटी जंगी गुनांछ हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन हेतु 2.375 है० वनभूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दुगुनी भूमि ग्राम ग्राम तोलब के राजस्व भूमि 4.750 है० क्षेत्रफल जिसमें कि जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के द्वारा म्यूटेशन आदेश निर्गत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है। म्यूटेशन तथा अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण निम्न प्रकार है-

म्यूटेशन आदेश का पत्रांक व दिनांक	श्रेणी	खता संख्या	खसरा नम्बर	कुल है० में	रकबा है० में	अर्जित रकबा है० में
4306 / छब्बीस-23 / 2017-18 दिनांक 8. 07.2019	श्रेणी-9-3-ख(2) अन्य कारणों से झाड़ियों के समूह	22	1455	5.760	4.750	
	योग			5.760	4.750	

उपरोक्त भूमि का प्रयोक्ता अभिकरण लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा मौके पर मानकानुसार पिलरों से सीमांकन किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	कुल क्षेत्रफल है० में	पिलर संख्या	पिलर का साईज	अक्षांश	देशान्तर
ग्राम तोलब	4.750	5	60cm x 60cm x 75cm	30°21'16.71" N 30°21'13.76" N 30°21'17.37" N 30°21'12.00" N 30°21'18.76" N	78°59'9.58" E 78°59'9.02" E 78°59'3.78" E 78°58'56.05" E 78°58'56.11" E

हस्ताक्षर

अधियासी अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०

रुद्रप्रयाग

उपरोक्तानुसार म्यूटेशन आदेश व अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित / सीमांकन की गई भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण व कब्जा दिया जाता है।

हस्ताक्षर

10/05

(रजना)
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र रुद्रप्रयाग
तहसील बन्नेप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

राज किशोरसिंग
तहसीलदार रुद्रप्रयाग

जनपद रुद्रप्रयाग

उपरोक्तानुसार म्यूटेशन आदेश व अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित / सीमांकन की गई भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के कब्जे में लिया जाता है।

हस्ताक्षर

रुद्रप्रयाग

प्रा०ख०

हस्ताक्षर

वन विभाग
मुहर सहित

प्रमाण पत्र

विषय- वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/11810/2015 जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यगुनि में तिलवाडा तोलव मयकोटी व मालकोटी छांगी गुनांउ हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन हेतु 2.375 है० वनभूमि का गैर वाणिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

प्रमाणित किया जाता है कि तिलवाडा तोलव मयकोटी व मालकोटी छांगी गुनांउ हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि पर पिलरों द्वारा सीमांकन कर लिया गया है ।


S. S. Singh, Assistant
Praniti, L.O. Ni. Vi.
50/5, Prayag


S. S. Singh, Assistant
Praniti, L.O. Ni. Vi.
Rudrapur

(इं० इन्द्रजीत बोस)
अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग ।

सीमांकन पिलरों के फोटोग्राफ्स



सीमांकन पिलरों के फोटोग्राफ्स

balance.nic.in/useraccount/Payment_history.aspx

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यभूमि में राज्य योजना के अन्तर्गत तिलवाडा-तोलव-मयकोटी व मालकोटी-डोंगी-गुनांव हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन कर सुधार एवं जमशीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.25 किमी०)

Strip Plantation on Central Verge (वचनबद्धता) का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां जहां सम्भव हो. सड़क के दोनों किनारों पर विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्र० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
कनिष्ठ अभियन्ता
प्र० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


अधिसूचना अधिकारी
रुद्रप्रयाग
कनिष्ठ अभियन्ता
प्र० खण्ड लो० नि० वि०


सहायक अभियन्ता
कनिष्ठ अभियन्ता
प्र० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
अन्तर्गत तिलवाडा-तोलब-मगकोटी व मालकोटी-डंगी-गुनाउ हल्का
वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परितर्वन कर सुधार एवं डांगरीकरण
हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव, लम्बाई
7.25 किमी०।

वन अधिकार अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- रुद्रप्रयाग

तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अमरस्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत तिलवाडा-तोलब-मगकोटी व मालकोटी-डंगी-गुनाउ हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परितर्वन कर सुधार एवं डांगरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.25 किमी० के निर्माण हेतु (0.00 हे०) अर्जित वन भूमि 0.00 हे० सिविल सोयम भूमि 2.3750 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.3750 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 11.10.2017 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अर्जित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्मित करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत अर्जित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। परिस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किता गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु अर्जित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हानन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / वस्तुतः पारित किया गया कि ग्राम रुद्रप्रयाग के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

रुद्रप्रयाग
ग्राम पंचायत



80/-
ग्राम प्रमुख

नोट - यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की किसी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तत्पुत्राव
उक्त निर्माण प्रमाण पत्र में दिया जाय।
उक्त प्रमाण पत्र निम्नलिखित की आवश्यकता से व्यक्ति संबंधित द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को
उपलब्ध कराया जावे।

रुद्रप्रयाग
ग्राम पंचायत

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत तिलवाडा-तोलब-मयकोटी व मालकोटी-झंगी-गुनाच हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परितर्जन कर सुधार एवं डामरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को कन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.25 किमी।

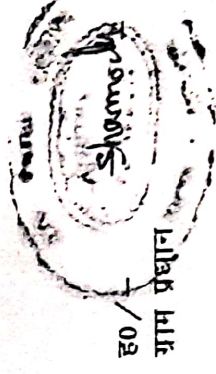
दिनांक 12/10/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ~~लखी~~ लखी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	हरी कुमार सिंह	हस्ताक्षर
2-	जोशी	हस्ताक्षर
3-	मल्लिकार्जुन	हस्ताक्षर
4-	शुक्ला	हस्ताक्षर
5-	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
6-	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
7-	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
8-	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
9-	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
10-	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
11-	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
12-	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
13-	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
14-	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
15-	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
16-	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
17-	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
18-	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
19-	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
20-	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर

संगण है।

मुख्य सचिव
मुख्य सचिव
मुख्य सचिव



75

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :-

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत तिलवाडा-गोलब-मयकोटी व मालकोटी-डोंगी-गुनांच हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परितर्वन कर सुधार एवं डामरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.25 किमी०।

दिनांक 23-10-2012 को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

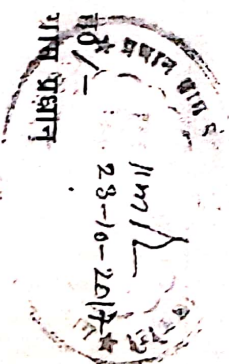
ग्राम पंचायत ...कुमारी.....

क्रमांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	वै. अ. र. श. मा. मा.	34/2
2	श्री. मा. मा.	34/2
3	श्री. मा. मा.	34/2
4		
5	अ. मा. मा.	
6	अ. मा. मा.	
7	अ. मा. मा.	
8	अ. मा. मा.	
9	अ. मा. मा.	
10	अ. मा. मा.	
11	अ. मा. मा.	
12	अ. मा. मा.	
13	अ. मा. मा.	
14	अ. मा. मा.	
15	अ. मा. मा.	
16	अ. मा. मा.	
17	अ. मा. मा.	
18	अ. मा. मा.	
19	अ. मा. मा.	
20	अ. मा. मा.	
21	अ. मा. मा.	
22	अ. मा. मा.	

संलग्न है।

राज्य सरकार
मुख्य सचिव
राज्य योजना विभाग
राज्य योजना

75



प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

जनपद रुद्रप्रयाग में विकासखण्ड अगरस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत तिलवाडा-तोलब-मयकोटी व मालकोटी-डांगी-गुनांच हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन कर सुधार एवं क्षमरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लग्नाई 7.25 किमी०।०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :- रुद्रप्रयाग

अनुसूचित जाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, रुद्रप्रयाग।

उपखण्ड रुद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में विकासखण्ड अगरस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत तिलवाडा-तोलब-मयकोटी व मालकोटी-डांगी-गुनांच हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन कर सुधार एवं क्षमरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लग्नाई 7.25 किमी० (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल सोयम भूमि, 2.3750 हे० वन पथायत भूमि) अर्थात् कुल 2.3750 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी) को मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक _____ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक _____, उप जिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री दयाल उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग अध्यक्ष
- 2- श्री सुरिन्द्र सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग सदस्य
- 3- श्री ए.एस.एस.एस. सहायक समाज कल्याण अधिकारी अग्रस्त्यमुनि सदस्य/सचिव
- 4- श्री डी.कुमर शी0डी0सी0 क्षेत्र बोरा सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगरस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत तिलवाडा-तोलब-मयकोटी व मालकोटी-डांगी-गुनांच हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन कर सुधार एवं क्षमरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लग्नाई 7.25 किमी० परियोजना हेतु 2.3750 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मान्यता लक्षित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/पथायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनपत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगरस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगरस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत तिलवाडा-तोलब-मयकोटी व मालकोटी-डांगी-गुनांच हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन कर सुधार एवं क्षमरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लग्नाई 7.25 किमी० परियोजना के निर्माण हेतु 2.3750 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को अनपत्ति में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
रुद्रप्रयाग, जनपद रुद्रप्रयाग।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
रुद्रप्रयाग, जनपद रुद्रप्रयाग।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
रुद्रप्रयाग, जनपद रुद्रप्रयाग।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
रुद्रप्रयाग, जनपद रुद्रप्रयाग।

FORM-1

Page No.....

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Rudrapurayag

No-32

Dated-22/01/2018

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.3750 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudrapurayag** (name of user agency) for **Conversion of Tilwara-Tolab-Malkoti & Malkoti-Dangi-Gunao LVR to Motor Road under State Sector** (purpose for diversion of forest land) in Rudrapurayag district falls within jurisdiction of Tolab (Kandhar), Kumoli (Malkoti) village (s) in Rudrapurayag tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure ...
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


Mangesh Chaudhary (D.A.S.)

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Mangesh Ghildiyal (I.A.S.) District Magistrate Rudraprayag on date 23/11/2018 at time 9.20 AM at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 2.3750 hect for the Conversion of Tilwara-Tolab-Maikoti & Malkoti-Dangi-Gunao LVR to Motor Road under State Sector (7.25 Km) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Date : 23/11/2018


Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Rudraprayag

